प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2022

विषय:- उप कारागार देवबन्द में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शरणवीर पुत्र टीकम निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3/फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उप कारागार देवबन्द में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शरणवीर पुत्र टीकम, जो ग्राम-खरपौड, थाना-ककरौली, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 07.07.2006 को एसआई तेजपाल सिंह व कान्स0 बिजेन्द्र सिंह द्वारा समय 12:50 बजे अभियुक्त 1- जयवीर, 2-पप्पू 3-महबूब 4-दिनेश को जिला मुजफ्फरनगर के मा0 न्यायालय, एफटीसी-2 से पेशी कराकर वापस हवालात सदर(लाकअप) लाया जा रहा था, उसी समय पीछे से बन्दी शरणवीर ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चे से फायर कर दिनेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-886,888/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25ए एक्ट, के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-06, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 24.02.2007 मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.07.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लधुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2021 तक 15 वर्ष, 04 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 10 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: घटना घटित होने की प्रबल सम्भावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने बन्दी के पास-पड़ौस में भय व्याप्त होने की प्रबल सम्भावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 07.07.2006 को एसआई तेजपाल सिंह, कान्स0 बिजेन्द्र सिंह द्वारा 04 अभियुक्तों का मा0 न्यायालय/एफटीसी-2, मुफ्फरनगर से पेशी कराकर वापस हवालात लाते समय बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तेमन्चें से फायर कर दिनेश नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शरणवीर पुत्र श्री टीकम को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शरणवीर (बन्दी संख्या-181/2017) पुत्र श्री टीकम, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव ।

संख्या-124/2022/439(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, उप कारागार देवबन्द ।
3- निजी सचिव] मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव] मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-124/2022/439/22-2-2022-17(387)/2022

दिनांक 16 अगस्त, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

उप कारागार देवबन्द में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शरणवीर पुत्र टीकम, जो ग्राम-खरपौड, थाना-ककरौली, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी का निवासी है। बंदी दिनांक 07.07.2006 को एसआई तेजपाल सिंह व कान्स0 बिजेन्द्र सिंह द्वारा समय 12:50 बजे अभियुक्त 1-जयवीर, 2-पप्पू 3-महबूब 4-दिनेश को जिला मुजफ्फरनगर के मा0 न्यायालय, एफटीसी-2 से पेशी कराकर वापस हवालात सदर(लाकअप) लाया जा रहा था, उसी समय पीछे से बन्दी शरणवीर ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चे से फायर कर दिनेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-886,888/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25ए एक्ट, के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-06, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 24.02.2007 द्वारा द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.07.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लधुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2021 तक 15 वर्ष, 04 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 10 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: घटना घटित होने की प्रबल सम्भावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने बन्दी के पास-पड़ौस में भय व्याप्त होने की प्रबल सम्भावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 07.07.2006 को एसआई तेजपाल सिंह, कान्स0 बिजेन्द्र सिंह द्वारा 04 अभियुक्तों का मा0 न्यायालय/एफटीसी-2, मुफ्फरनगर से पेशी कराकर वापस हवालात लाते समय बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तेमन्चें से फायर कर दिनेश नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शरणवीर पुत्र श्री टीकम को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in